

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थी

1. पुरखा देवी पत्नी श्री रतूराम

तहसीलदार नागौर

2. सुखाराम पत्नी श्री रतूराम

3. कालूराम पत्नी श्री रतूराम

4. शिवलाल पत्नी श्री रतूराम

जातियान जाट,

निवासीगण धून्धवालो की ढाणी,

अलाय तहसील व जिला नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 59 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर य तारीख अहकाम इस हुकम की तारीख में जारी हुए
4/8/22	वकील प्रार्थी ने तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या-50/2022 सरकार बनाम कालूराम वगैरह अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 के विरुद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.08.2022 को पेश हो।	
23.8.22	वकील प्रार्थी उपर। P.O लाटब प्रशासनिक कार्यों के च्यस्त है। अप्रार्थी का नो हिल बाउ तामील शा-त्रि-है। पत्रावली दिनांक 13/9/22 को पेश हो।	
13/9/22	वकील प्रार्थी उपर। P.O लाटब राजकीय प्रयोग पर है। पत्रावली दिनांक 4.10.22 को पेश हो।	
4.10.22	वकील प्रार्थी उपर। राज पैरोकर अप्रार्थी की ओर ले उपर। पत्रावली पूल अपील के साथ दिनांक 12.10.22 को पेश हो।	
12-10-22	वकील प्रार्थी उपर। राज पैरोकर उपर। पत्रावली पूल अपील के साथ दिनांक 18.10.22 को पेश हो।	
18.10.22	वकील प्रार्थी उपर। स्थगन प्रार्थना पत्र ले संबन्धित पूल अपील फैसला हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाये के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र स्मरिज किना जाता है। आदेश सुनना। पत्रावली फैसल अनुसार होकर नोट से कम हो।	

(पीयूष लम्पारिया)
कलक्टर, नागौर